744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 744वीं बैठक दिनांक 29/04/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिल रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 11187/2024 Shri Sanjeev Samaiya S/o Shri Babulal Jain, Owner, R/o Makan No. 864/1, Ward No. 9, Holi Chowk, District-Raisen (MP)-464886, Prior Environment Clearance for Kakrua Stone Quarry in an area of 2.429 ha. (7276.5 cum per year) (Khasra No. 2/1/1/1), Village-Kakaruwa, Tehsil-Silwani, District-Raisen (MP) [451001] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक आनंद जायसवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	आनंद जायसवाल पिता श्री रामनारायण जायसवाल निवासी नियर पोस्ट ऑफिस भीकनगाँव जिला खरगोन मध्य प्रदेश	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 16/1 (शासकीय –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	क्षेत्रफल –1.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम – अमनखेड़ी तहसील – भीकनगाँव जिला – खरगोन राज्य मध्य प्रदेश।	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक	

	562/खनिज/2018 खरगोन दिनाँक 06/08/2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक/292/DEIAA/2018 खरगोन दिनाँक 04/10/2018 के द्वारा पत्थर – 5,044 घनमी./वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–4850 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 4850 घनमीटर/वर्ष है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1440/खनिज/2023 खरगोन दिनांक .18/10/2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 02 अन्य खदानें स्वीकृत है, परंतु वह खदाने अवधि समाप्त/निरस्त हो गई है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1440/खनिज/2023 खरगोन दिनांक .18/10/2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1440/खनिज/2023 खरगोन दिनांक .18/10/2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अमनखेड़ी जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में पूर्व से स्थापित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–91 के सरल क्रमांक – 61 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना **प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।**

2. <u>Case No 11186/2024 Shri Ramnivas Patidar, Owner, R/o Village-Janakpur, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP)-458220 Prior Environment Clearance for Jhirmir Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 207/1), Village-Jhirmi, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP) [451091] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारीपूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक संजीव समैया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक **रामनिवास पटीदार** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेशउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	रामनिवास पटीदार निवासी वार्ड नंबर -3 जनकपुर जावद डिस्ट्रिक्ट -नीमच मध्य प्रदेश	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 207/1(शासकीय –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	क्षेत्रफल –4.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम –झीरमीर तहसील–जावद जिला –नीमच राज्य मध्य प्रदेश।	

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक1433/खनिज/क्यू। यल./ 2018नीमच दिनाँक 28/09/2018के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंगप्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया नीमच के पत्र क्रमांक/1395/खनिज/डीया/खनी/2018नीमच दिनाँक 26/09/2018के द्वारा पत्थर–20,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है। **भूतपूर्व उत्पादन क्षमता** - 31,996घनमीटर /वर्ष गहराई 15 मीटर
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–20,00घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 20,000घनमीटर/वर्षहै।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1318/खनिज/2023-24नीमच दिनांक .25/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें स्वीकृत है, परंतु वह खदाने अवधि समाप्त/निरस्त हो गई है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1318/खनिज/2023-24नीमच दिनांक .25/09/2023 अनुसार10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1318/खनिज/2023-24नीमच दिनांक .25/09/2023 अनुसार500 मीटर की परिधि मेंमानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झीरमीरजिला नीमच के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/10/2017अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में पूर्व से स्थापित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–17 के सरल क्रमांक–16पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना **प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।**

3. <u>Case No 11191/2024 Shri Brijesh Kumar Singh, Director, M/s K N International Limited, R/o Village-Parasi, Post-Anpara, Cinema Road, District-Sonbhadra (UP)-231225, Prior Environment Clearance for Phulwari Stone Deposit in an area of 1.02 ha. (15086 cum per year) (Khasra No. 79, 80), Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [451171] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गतडिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिस में आज दिनांक29/04/2024को परियोजना प्रस्तावक के.एन. इंटरनेशनल (निदेशक–श्री ब्रजेश सिंह यादव) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ओसियो एन्वायरों (श्री कृष्णचन्द्र पण्डा) उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	के.एन. इंटरनेशनल (निदेशक–श्री ब्रजेश सिंह यादव), सिनेमा रोड, अन्परा, जिला–सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)

खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरानंबर– 79, 80 /क्षेत्रफल– 1.02 सरकारी	hectare.
स्थल	Village -Phulwari, Tehsil &District-Singrauli (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 200/खनिज/एम.पी.गैट/2022 दिनांक 16.01.2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, एवं खनन योजना नॉन ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर से अनुमोदित कर प्रस्तुत की जायेगी।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया (बी–2 प्रकरण)	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सिंगरौली के पत्र क्रमांक 05/डिया/उ.प्र./2016 दिनांक 30.05.2016 के द्वारा पत्थर–18800 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	प्रस्तावित नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–18800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 15010 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3644/खनिज/ए.प्र.प/2023 दिनांक 17.10.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 2.22 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय उप वन मण्डल अधिकारी जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक मा.चि/1005 दिनांक 18.08.2015 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 153/2015 दिनांक 17.08.2015 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानवब साहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिहरा जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 8.03.2010 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	लीज के बाहर
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तरदिशा–लगभग 150 मी. पर खेत है।
	दक्षिण दिशा–लगभग 200 मी. पर पक्की सड़क है।
	पूर्व दिशा–लगभग 90 मी. पर पक्की सड़क है।
	पश्चिम दिशा–लगभग 230 मी. पर खेत है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक नेबतायाकिइस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेजनं.–65 के सरल क्रमांक– 168 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	(उक्त खदान बी–2 श्रेणी अंतर्गत है। अतः जन सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।)

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के` प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि **उत्तर–पश्चिम दिशा में मार्ग स्थिल है । ब्लास्टिंग की स्थिति में 200 मी.छोड़े जाने पर खनन क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा ।**

अतः उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना **प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।**

4. <u>Case No. 11195/2024 Shri Rajendra Sharma S/o Shri Madan Mohan Sharma, Lessee, R/o 228, Colony, VTC, District-Ujjain (MP)-456010, Prior Environment Clearance for Karadiya (Nawakheda) Soil Quarry in an area of 2.670 ha. (5500 cum per year) (Khasra No. 256, 257), Village-Nawakhera, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [452263] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गतडिया द्वाराजारीपूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकनकाहै, जिसमें आज दिनांक 29/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ओसियो एन्वायरों (श्री कृष्णचन्द्र पण्डा) उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री राजेन्द्र शर्मा पिता श्री मदनमोहन शर्माजी, म.नं.–227, अलकधाम नगर, तहसील एंव जिला उज्जैन (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नंबर– 256, 257 /क्षेत्रफल– 2.670 (शासकीय)	hectare.
स्थल	Village – Karadiya(Nawakheda) Tehsil &District-Ujjain(M.P.).	
लीजस्वी कृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाउज्जैन के पत्र क्रमांकडिया/1871/खनिज/2016–17, उज्जैनदिनांक23.09.	

	2016 के द्वारास्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना मिट्टी एवं ईट भट्टा का है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया (बी–2 प्रकरण)
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक डिया/2016/1134, उज्जैन दिनांक 31.05.2016 के द्वारा मिट्टी–5500 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	प्रस्तावित नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी–5500घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 5500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1946/खनिज/2022–23 दिनांक 01.08. 2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में0 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 2.670 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय वन मण्डलअधिकारी जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक मा.चि/07/2411 दिनांक 01.06.2007 अनुसार10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार जिला उज्जैन के अनापत्ति पत्र एंव पंचनामा क्रमांक 10 दिनांक 27.02.07 अनुसार 500 मी. की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नही है ।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नवाखेड़ा जिला उज्जैन के ग्राम सभा अनापत्ति एंव ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24.03.2007 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	अनुमोदित खनन् योजना मिट्टी एवं ईट भट्टा का है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की	• लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण–01 पेड़ है कुछ पेड़

वर्तमान स्थिति	बैरियर जोन में है। • यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण–कोई भी पेड़ नहीं काटा जाऐगा। • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या– शून्य • यदि पेडों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण–01
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा–270 मी. पर कच्ची सड़क है।
	दक्षिण दिशा–लगभग 50 मी. पर खेत है।
	पूर्व दिशा–लगभग 30 मी. पर मजदूरों के लिए सेलटर निर्माण है।
	पश्चिम दिशा–खेत है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. –146 के सरल क्रमांक–80 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मी.पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग . ..... पेड़ लगाये गये एवं ..... पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम. एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन–लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके।

5. <u>Case No 11183/2024 Ms. Anita Devi, Lessee, R/o Bakua Khurd, Tehsil-Tahrauli, District-Jhansi (UP)-284121, Prior Environment Clearance for Baproli Stone Mine in an area of 4.00 ha. (75000 cum per year) (Khasra No. 64/2/1), Village-Baprauli, Tehsil-Niwari, District-Niwari (MP) [451582] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 29/04/2024. को परियोजना प्रस्तावक Smt Anita Devi एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Anita Devi Yadav W/o Shri Jitendra Singh Yadav R/o – Village – Bakua, Tehsil – Tharauli, District - Jhansi (UP)	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	64/2/1(सरकारी भूमि)	4.00 हेक्टेयर
स्थल	Village - Baproli, Tehsil - Niwari, District - Niwari, State - Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्यप्रदेश का पत्र कमांक 671-73/उत्खनिपट्टा/ग्रुप–II/न.क्र. 321/2016 भोपाल, दिनांक 13/01/2017 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया टीकमगढ के पत्र कमांक खनिज/डिआ/2017/154 टीकमगढ़ दिनांक 25/08/2017 के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्तहै ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–75,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर– 75,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मी. की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी (म.प्र.) के एकल प्रमाण–पत्र कमांक/444/खनिज/2023 दिनांक 05/09/2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में अन्य 06 खदान स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 20.273 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी (म.प्र.) के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक/444/खनिज/2023 दिनांक 05/09/2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि मेंनेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी (म.प्र.) के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक/444/खनिज/2023 दिनांक 05/09/2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रति रक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाल ानहीं है ।
प्रस्तावित स्थन पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में एक भी पेड़ दिखाई दे रहे है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण–पश्चिम दिशा– कच्ची सड़क 140 मी. की दूरी पर स्थिल है। एवं पक्की सड़क 989 किलोमी.की दूरी पर स्थिल है।
	उतरी पूर्व दिशा– नेचुरल ड्रेन 150 मी.की दूरी पर स्थिल है ।
	उतरी पश्चिम दिशा– उ.प्र.–म.प्र. राज्य का सीमा 5 मी. की दूरी पर स्थिल है ।
	पश्चिम दिशा–आबादी ;बप्रोलीद्ध 220 मी. की दूरी पर स्थिल है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे ंस्थिति	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–36 के सरल क्रमांक–73 पर दर्जहै ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:

9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):

- Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थिल संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थिल रहें।

25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मी.से 1.0 किलोमी.के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थिल है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

6. <u>Case No 11176/2024 Shri Arjun Anjana, Lessee, R/o Village-Guani Khalsa, District-Ujjain (MP)-456550 Prior Environment Clearance for Gunai Khalsa Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (13000 cum per year) (Khasra No. 311), Village-Gunaikhalsa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [451064] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक अर्जुन आंजना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन आंजना पिता श्री भांकर सिंह आजंना, निवासी –गुनईखालसा, तह0 व जिला उज्जैन (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	311 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1.00 हेक्टयेर भाासकीय भूमि hectare.
स्थल	ग्राम गुनईखालसा, तह0 व जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक –16003–15/खनिज/न.क्र.–1/उ.प./2021, दिनांक 25.11.2021 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग **की जाएगी** ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–390, एम–सैण्ड–12,610 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–390, एम–सैण्ड 12,610 घनमीटर/वर्ष है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10509/खनिज/2023–24 दिनांक 22.12.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 14 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 45.40 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10509/खनिज/2023–24 दिनांक 22.12.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल

	प्रमाण–पत्र क्रमांक 10509/खनिज/2023–24 दिनांक 22.12.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टे ान, दूरद ार्न, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थिल है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	**पट्टा क्षेत्र में 10 वृक्ष आते हे जिसकी इन्वेंट्री फाइनल EIA रिपोर्ट में दी जाएगी**
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	**पट्टा क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी दिशा में 330 मीटर पर कच्ची सड़क है पट्टी क्षेत्र के पूर्वी दिशा में 200 मीटर पर होलेज रोड है**
जन सुनवाई	लागू है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
2. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
3. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थिल रहें।
4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ट्री इन्वेन्ट्री ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थिल संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से

दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
9. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थिल है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
10. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मी.X 01 मी.X 01 मी.का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
12. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
15. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
16. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
17- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मी.से 1.0 किलोमी.के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
18. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
19. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
20. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
22. खदान क्षेत्र के आसपास स्थिल हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
23. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
24. ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

25. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
26. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

7. <u>Case No 11174/2024 Shri Aditya Soliwal, Partner, M/s Shreenathji Enterprises, R/o 12, Bhagat Singh Gali, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP)-458330 Prior Environment Clearance for Kuchdod Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 1000, 1093, 1101), Village-Kunchdod, Tehsil-Jiran, District-Neemuch (MP) [440542] (TOR)</u>

प्रकरण आज सेक की 744वीं बैठक दिनांक 29/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

8. <u>Case No 11175/2024 Shri Sanjay Rai, Owner, R/o Hotel Utsav Vilas, Sar Vallabh Bhai Patel Bridge, Hridaypur, District-Damoh (MP)-470661, Prior Environment Clearance for Baruyee Bauxite Quarry in an area of 9.049 ha. (Bauxite-58970, Laterite-52836, OB-4718 cum per year) (Khasra No. 64/1), Village-Barua, Tehsil-Majhgawan, District-Satna (MP) [409547] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीसंजय राय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री संजय राय पुत्र श्री ओम प्रकाश राय पता–होटल उत्सव विलास, सरदार वल्लभभाई पटेल ब्रिज, ह्रदयपुर, जिला–दमोह (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(निजी भूमि–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	9.049hectare.
स्थल	Village-Baruyee,Tehsil-Majhgawan, District-Satna(M.P.)	
लीज स्वीकृति	खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल पत्र क्रमांक.3652 दिनांक 26/08/ 2022 के द्वारा हस्तानांतरण स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

प्रकरण की स्थिति	सिआ प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	–
टॉर	–
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम 58970 टन/वर्ष बॉक्साइट, अधिकतम 52836 टन/वर्ष लेटराइट, अधिकतम 4718 वर्ग मी. /वर्ष ओवर बर्डन हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम. 58970 टन/वर्ष बॉक्साइट, अधिकतम, 52836 टन/वर्ष लेटराइट, अधिकतम 4718 वर्ग मी./वर्ष ओवर बर्डन है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 21/11/2023 अनुसार 500 मी. की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 19.193 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 21/11/2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में स्थिल रानीपुर टाइगर रिजर्व के अधिसूचित पारिस्थिति की संवेदी जोन ESZ की सीमा से 4 .923 की मी दूर स्थिल है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 21/11/2023 अनुसार 500 मी. की परिधि में नदी /नहर/तालाब स्थिल नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत देवरा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 9 दिनांक 01.07.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थिल नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पट्टा क्षेत्र से 50 मी.पश्चिम में पक्की सड़क मौजूद है। सड़क किनारे 50 मी.सेटबैक प्रस्तावित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला सतना म.प्र. से इस खदान का विवरण जिले की उपान्तरित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मलित कर दी

	जावेगी।
जन सुनवाई	NA

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
2. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
3. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थिल रहें।
4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ट्री इन्वेन्ट्री ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थिल संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
9. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थिल है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
10. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मी.X 01 मी.X 01 मी.का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
12. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
15. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

16. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
17. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मी.से 1.0 किलोमी.के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
18. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
19. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
20. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
22. खदान क्षेत्र के आसपास स्थिल हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
23. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
24. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।

25- खदान क्षेत्र की निजी भूमि में स्थित है जो जड़ भण्डार से भरा हुआ क्षेत्र है तथा खदान क्षेत्र 9.049 हे. है इस पूरी भूमि का फैलाव खनन क्षेत्र के अनुरूप ही है। अतः लैंड रिकार्ड से परीक्षण करा लिया जाये ।

26- Tree (including shrubs) inventory shall be prepared by subject expert.

27- Ecological loss assessment study.

28- Tree inventory shall be carreied out through forest/subject expert.

9. <u>Case No 11181/2024 Shri Gagandeep Nayyar, Owner, R/o 758, Madan Mahal, District-Jabalpur (MP)-482001 Prior Environment Clearance for Manegaon Stone Quarry in an area of 1.60 ha. (24637 cum per year) (Khasra No. 49P), Village-Manegaon, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [445110] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक गगनदीप नैय्यर एवं उनके

पर्यावरणीय सलाहकार एक्रो डिजाइन, गाजियाबाद उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री गगन दीप नैय्यर पिता श्री परमजीत नैय्यर, 785, मदन महल जिला जबलपुर, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(शासकीय–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.60 hectare.
स्थल	Khasra No 49, Village-Manegoan, Tehsil & District- Jabalpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1093 दिनांक 05–06–2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 109/डिया/2017 दिनांक 11–05–2017 के द्वारा पत्थर–25,000 घनमी./वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–24,637 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 24,637 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 845 दिनांक 14–09–2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, तथा आवेदित खदान को मिलाकर कुल रकबा 26.04 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 845 दिनांक 14.09.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 845 दिनांक 14.09.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में पर मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मंगेली जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14–04–2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण – 00 • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण – 00 • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 00 • यदि पेडों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा जाना है तो उसका विवरण 00 हे. में
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा– 140 मी.पर मानव बसाहट है
	दक्षिण दिशा–
	पूर्व दिशा– 110 मी.की दूरी पर REGIONAL DEALER TRAINING CENTRE स्थिल है।
	पश्चिम दिशा–
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–45 के सरल क्रमांक–83 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..

11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):

- Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थिल संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थिल रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।

26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मी.से 1.0 किलोमी.के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थिल है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थिल खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
33. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
34. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
35. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
36. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

10. <u>Case No 11179/2024 Shri Indrajeet Nayyar, Owner, R/o 765, Madan Mahal, Gupteswar Ward, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance</u>

for Manaegaon Mining in an area of 1.73 ha. (24538 cum per year) (Khasra No. 53), Village-Manegaon, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [445338] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक इन्द्रजीत नैययर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एक्रो डिजाइन, गाजियाबाद उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती इंद्रजीत नैययर, 765, मदन महल, गुप्तेश्वर वार्ड, जबलपुर, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(शासकीय–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.73 hectare.
स्थल	Khasra No 53, Village-Manegoan, Tehsil & District- Jabalpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपपुर के पत्र कमांक 2011 दिनांक 27–12–2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र कमांक 152/डिया/2017 दिनांक 08–11–2017 के द्वारा पत्थर–25,000 घनमी./वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–24,538 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 24,538 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 846 दिनांक 14–09–2023 अनुसार 500 मी. की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, तथा आवेदित खदान को मिलाकर कुल रकबा 26.04 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 846 दिनांक 14.09.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 846 दिनांक 14.09.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन,	

	हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मंगेली जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14–04–2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण – 00 • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण – 00 • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 00 • यदि पेडों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा जाना है तो उसका विवरण 00 हे. में
	पूर्व दिशा– 330 मी.पर मानव बसाहट हैं।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–38 के सरल क्रमांक–61 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)

14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. <u>Case No 11188/2024Shri Nitin Barsainya, Owner, R/o 2283, Madan Mahal, Tehsil & District-Jabalpur (MP)-482003, Prior Environment Clearance for Dhadhra Stone Quarry in an area of 1.72 ha. (31000 cum per year) (Khasra No. 105P), Village-Dhadra, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [446175] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन बरसैया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एक्रो डिजाइन, गाजियाबाद उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री नितिन बरसैंया, 2283, मदनमहन, तहसील एवं जिला जबलपुर, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(शासकीय–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.72 hectare.
स्थल	Khasra No 105, Village-Dhadhra, Tehsil & District- Jabalpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपपुर के पत्र क्रमांक 675 दिनांक 10–04–2013 के द्वारा स्वीकृत । चूकी लीज अनुबंध 27–03–2015 को किया गया है अतः माइनिंग प्लान भी उसी अवधि के अनुसार रखा गया है।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 11/डिया/2016 दिनांक 10–05–2016 के द्वारा पत्थर–33,630 घन मी./वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–31,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया	

	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 31,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 753 दिनांक 05–09–2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, तथा आवेदित खदान को मिलाकर कुल रकबा 15.71 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 753 दिनांक 05.09.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 753 दिनांक 05.09.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 30–10–2012 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण – 00 • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण – 00 • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 00 • यदि पेडों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा जाना है तो उसका विवरण 00 हे. में
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– 650 मी.पर मानव बसाहट हैं।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–22 के सरल क्रमांक–11 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

36. Copy of Form-I
37. Land status/P2:
38. Area & Location with Khasra no:
39. Current Ekal Praman Patra
40. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
41. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
42. OB Dump and waste management with facts and figures:
43. Top soil management with soil profile:
44. Detail of old Environment Clearance with validity period:
45. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
46. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
47. Water requirement (KLD):
48. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
49. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
50. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
51. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
52. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
53. Carbon footprint.
54. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
55. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड

लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

56. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
57. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
58. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
59. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
60. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
61. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
62. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
63. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
64. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
65. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
66. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
67. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
68. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
69. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

70. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
71. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
72. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
73. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
74. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
75. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
76. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
77. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

12. <u>Case No.11197/2024 Shri Roop Kachchhal, Owner, R/o Bass Gadi Kuw, District-Nagaur (RJ)-341001, Prior Environment Clearance for Fusariya Stone for M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 1248), Village-Fusariya, Tehsil-Singoli, District-Neemuch (MP) [453823] (TOR)</u>

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक रूपचन्द कच्छावा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रूपचन्द पिता श्री रामदेव कच्छावा, निवासी –बास गडी कुआ, ताउसर, जिला नागौर (राज.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1248 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 हेक्टयेर hectare. भाासकीय भूमि
स्थल	ग्राम फुसरिया, तहसील सिंगोली, जिला नीमच
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक –1567/खनिज/क्यु–एल–27/2021–22, दिनांक 29.11.2022 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग **की जाएगी** ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा एम–सैण्ड–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार एम–सैण्ड 30,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 410/खनिज/2023 दिनांक 10.04.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 8 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 410/खनिज/2023 दिनांक 10.04.2023 अनुसार 10 किलोमी. की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 410/खनिज/2023 दिनांक 10.04.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरद ान, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत फुसरिया, जिला नीमच के ठहराव प्रस्ताव कमांक क्यु . एल/पंचा./2021–22, दिनांक 30.03.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थिल है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पट्टा क्षेत्र में वृक्ष आते हैं जिसकी इन्वेंट्री फाईनल ईआईए रिपोर्ट में दी जाएगी।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पट्टा क्षेत्र के उत्तर पूर्वी दिशा में 20 मी. पर पक्की सड़क। पट्टा क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 150 मी. पर बरसाती नाला।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–..... के सिरियल कमांक–.....पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
2. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
3. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ट्री इन्वेन्ट्री ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
9. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
10. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
12. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
15. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
16- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
17- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
18. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
19. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
20. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
22. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
23. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
24. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।

13. Case No.11196/2024 Shri Balram Yadav, Owner, District-Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Biloua Stone (Gitti) Quarry in an area of 1.50 ha. (25000 cum per year) (Khasra No. 3921), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [450728] [DEIAA] (TOR).

प्रकरण आज सेक की 744वीं बैठक दिनांक 29/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

14. Case No 11190/2024 Shri Rehan Khan, Partner, M/s Ekta Construction, R/o Village-Sagore, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP)-454774, Prior Environment Clearance for Kheda Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (20580 cum per year) (Khasra No. 648), Village-Kothda, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [448485] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक एकता कन्स्ट्रक ान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	एकता कन्स्ट्रक्शन पार्टनर रेहान खान/भोर मोहम्मद, निवासी –ग्राम सागौर तहसील पीतमपुर, जिला धार (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	648 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 हेक्टयेर शासकीय भूमि hectare.
स्थल	ग्राम खाण्डवा तहसील एवं जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र कमांक –.2391 दिनांक 19/11/2019 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र कमांक 94/DEIAA/2017 दिनांक 09.02. 2014 के द्वारा पत्थर–20580 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–20580 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर– 20580 घनमीटर/वर्ष है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल

	प्रमाण–पत्र क्रमांक 2553/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 6 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.7 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2553/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2553/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टे ान, दूरद ार्न, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खण्डवा, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक.2.. दिनांक 14.12.2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पट्टा क्षेत्र में वृक्ष आते हैं जिसकी इन्वेन्ट्री फाइनल ईआईए रिपोर्ट में दी जाएगी।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में कच्ची सड़क 165 मी. उत्तर दिशा में आबादी (अस्थाई आवास) 150 मी. दक्षिण दिशा में कच्ची सड़क 265 मी. पश्चिम दिशा में कच्ची सड़क 275 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–22 के सिरियल क्रमांक–52 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू है।

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–
प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।

34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

15. <u>Case No. 11194/2024 Shri Riyaj Khan, Lessee, R/o Village-Sagore, Tehsil & District-Dhar (MP)-454774, Prior Environment Clearance for Khandwa Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.40 ha. (20580 cum per year) (Khasra No. 648), Village-Khanpura, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [448627] [DEIAA] (TOR)</u>

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक रियाज खान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	रियाज पिता निसार अहमद, निवासी –ग्राम सागौर तहसील पीतमपुर, जिला धार (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	648 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.40 हेक्टयेर hectare. भाासकीय भूमि
स्थल	ग्राम खाण्डवा तहसील एवं जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक –2389/उ.प./न.क./39/18/खनिज/2019–20 दिनांक 19.11.2019 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 96/DEIAA/2017 दिनांक 09.02.2014 के द्वारा पत्थर–20580 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–20580 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर– 20580 घनमीटर/वर्ष है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2549/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 6 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 19.7 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2549/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2549/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टे ान, दूरद ार्न, हवाई

	अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
क्वेशर की स्थिति	क्वेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में कच्ची सड़क 70 मी. उत्तर दिशा में आबादी (अस्थाई आवास) 60 मी. दक्षिण दिशा में कच्ची सड़क 470 मी. पश्चिम दिशा में कच्ची सड़क 380 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–.22 के सिरियल क्रमांक–51 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:

10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।

26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

16. <u>Case No.11198/2024 Shri Dhiraj Garg, Partner, R/o F-29, Gandhi Nagar, District-Gwalior (MP)-474002, Prior Environment Clearance for Biloua Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (100000 cum per year) (Khasra No. 3624/1), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [448830] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक धीरज गर्ग एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	धीरज गर्ग, निवासी –ए फ–29, गांधी नगर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3624/1 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.00 हेक्टयेर भाासकीय भूमि hectare.
स्थल	ग्राम बिलोआ, तहसील डाबरा, जिला ग्वालियर
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक –क्यु–एल–70/2016/1230, दिनांक 26.10.2016 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1176/DEIAA/न.क./2016 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा पत्थर–1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 1,00,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक क्यु एल–70/2016/1781 दिनांक 14.11.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 32 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 58.334 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक क्यु एल–70/2016/1781 दिनांक 14.11.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक क्यु एल–70/2016/1781 दिनांक 14.11.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टे ान, दूरद ार्न, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पीथमपुर, जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27.12.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थिल है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No existing tree

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में 40 मी.पर पक्की सड़क है उत्तर दिशा में 260 मी.पर औद्योगिक क्षेत्र है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–30 के सिरियल क्रमांक–45 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रस्तुत प्रकरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोर्टल पर दिनांक 14/10/23 को आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं सिया को दिनांक 28/10/23, 02/01/24 तथा 12/01/24 को क्यारी रिप्लाई किया गया । प्रकरण दिनांक 16/01/2024 को सेक को भेजा गया ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. Year wise details of minerals already excavated till date should be submitted with EIA report.
42. Compliance of consent conditions of M. P. Pollution Control Board from concerned Regional Office.
43. Level of mechanization should be discussed in the EIA report.
44. Hydro geological study should be carried out if ground water intersection is proposed.
45. Status of all court cases (with summery of all the directions and compliances made) issued by honourable Courts.
46. A list of all the mines located in the Billaua, Rafadpur and Chirpura cluster along with their lease area, lease period, existing production, proposed production as per approved mine plan, production for which the EC is desired (Form 1), available minable reserve, proposed ultimate depth, post mining land use, details of crusher if located within the lease area, if crushing is done outside the lease area its location and details, details of any habitation, water body, road, school, or hospital or any other public place within 500 m of the cluster.
47. A satellite Image of the area showing all the mines and crusher located in the cluster, mineral evacuation route, all important features like water body, habitation, roads, industry and other mines etc located within 5 km radius of the cluster.

48. A surface plan of the entire cluster area (contour interval not more than 3.0 m) with maximum and minimum RL of each mine of cluster.
49. Air pollution control measures adopted by each mine and crusher in the cluster.
50. An evacuation plan for entire cluster with evacuation route shown on a map, location of school, hospital, habitation etc falling on the route should also be shown on the map. The plan should also include the type and condition of the road and a justification that road network is adequate to evacuate the proposed production from the cluster.
51. Ambient Air Quality Monitoring on following locations be conducted for one season:-

    (a) Three monitoring station one each at three nearby villages i.e. Billaua, Rafatpur & Chirpura.
    (b) Two monitoring station one each at main evacuation road and Billaua village road.
    (c) Three monitoring station i.e. one at windward direction and two at leeward direction.
    (d) Three monitoring station within the cluster area near installed crushers.
    (e) One monitoring station close to water body i.e. Udalpara Tal.

52. Furnish the name and production of the each mine within 01 kms radius that were in operation during the base line data collection.
53. Photography and Videography should also be done during collection of baseline data.
54. Noise Monitoring on following locations be conducted for one season :-

    (a) Three monitoring station one each at three nearby villages i.e. Billaua, Rafatpur & Chirpura.
    (b) Two monitoring station one each at Naktapata square and nearby water body.
    (c) Three monitoring station within the cluster area near installed crushers.

55. Discuss in EIA report the present scenario of OB management with locations of OB dump marked on map, measures taken for stabilization of dump, photographs of OB dump and proposed OB management plan for entire cluster.
56. Provide information regarding mine wise requirement of water, mine wise source of water and total water requirement of entire cluster.
57. A blast induced ground vibration and air over pressure study for the mines located within 500 m of any dwellings or any other important structure. The study should clearly recommend a site specific square root predictor equation for determining the maximum charge/delay that can be safely used.

58. A drainage plan for entire cluster and surface run off management plan.
59. Hydrological studies be carried out to address the impact of existing mining activities on ground water. The report shall clearly mention the maximum depth up to which mining can be allowed in the cluster without causing any adverse impact on ground water and extent up to which mining can be allowed near surface water body.
60. Proposed plantation scheme and If plantation is proposed outside the lease area also, commitment of district administration is also required.
61. Public consultation be conducted as per EIA Notification, 2006.
62. In addition to EMP for entire cluster in the EIA report a site specific EMP for each mine should also be prepared and submitted separately.
63. Provide details of court cases/ litigations pending, if any.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

17. <u>Case No 11192/2024 Shri Galiya, R/o 188, Kalibilod, District-Indore (MP)-453001, Prior Environment Clearance for Kalyansikhedi Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (100000 cum per year) (Khasra No. 162, 163, 164), Village-Surajpura, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [451511] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक गणेश उर्फ गलिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	गणेश उर्फ गलिया पिता बचना भील, निवासी –

	काली बिल्लोद, तहसील एवं जिला इन्दौर म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	162, 163, 164 पैकी (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 हेक्टयेर hectare.
स्थल	ग्राम कल्याणसीखेडी, तहसील पिथमपुर, जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक –2247/खनिज/न.क./उ.प./2016, दिनांक 06.02.2016 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 42/DEIAA/2017 दिनांक 09.02.2017 के द्वारा पत्थर–20580 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 1,00,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2559/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 13 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 49.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2559/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2559/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर,

	राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खण्डवा, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक .....दिनांक 15.10.2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	**पट्टा क्षेत्र के पश्चिमी और वृक्ष लगे हुये हैं**
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि **पश्चिम दिशा में खदान के पास अस्थाई खदान कार्यालय बना हुआ है पश्चिम दिशा में खदान से 200 मीटर की दुरी पर पक्की बिल्डिंग बानी हुई है, दक्षिण दिशा में खदान से 410 मीटर की दुरी पर कच्ची सड़क है**

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra

5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**

23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।

26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।

34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।

38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

18. Case No 11180/2024 Shri Amar Mishra, Partner, M/s Maa Sharda Mining and Crushing Company, R/o Mandla Road, Sailwada, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Jamuniya Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (29791 cum per year) (Khasra No. 294P), Village-Jamunia, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [452750] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक मा शारदा माइनिंग एन्ड क्रशिंग कंपनी पार्टनर श्री अमर मिश्रा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एक्रो डिजाइन, गाजियाबाद उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	मा शारदा माइनिंग एन्ड क्रशिंग कंपनी पार्टनर श्री अमर मिश्रा मंडला रोड,

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

का नाम व पता	सालीवाड़ा जिला जबलपुर, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(शासकीय–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.0 hectare.
स्थल	Khasra No 294, Village-Jamuniya, Tehsil & District- Jabalpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपपुर के पत्र क्रमांक 11698 दिनांक 04–09–2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 166/डिया/2018 दिनांक 19–01–2018 के द्वारा पत्थर–19,950 घनमी./वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–29,791 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 29,791 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 976 दिनांक 06–10–2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, तथा आवेदित खदान को मिलाकर कुल रकबा 18.17 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 976 दिनांक 06.10.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 976 दिनांक 06.10.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में केवल एक मकान बना हुआ है तथा खसरा न. 300 पर शासकी नाला है। इसके अलावा मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बल्हवारा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित है।	

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– 380 मी.पर नाला।
	दक्षिण दिशा– 160 मी.की दूरी पर 4 मकान हैं। जिसके लिए 40 मी.का सेटबैक लिया जायेगा
	पूर्व दिशा– 22 मी.की दूरी पर बरसाती नाला
	पश्चिम दिशा– 500 मी.की दूरी पर नहर
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रमाण–पत्र क्रमांक 976 दिनांक 06–10–2023 अनुसार इस खदान का विवरण जिले की अगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.

f. Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.

18. Carbon footprint.

19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।

23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।

26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु

आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

19. <u>Case No 11184/2024 Ms. Mamta Yadav, Lessee, R/o Village-Bakuva Khurd, Itawa, District-Jhansi (UP)-284121, Prior Environment Clearance for Baproli Stone Mine in an area of 1.40 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 66/1P), Village-Baprauli, Tehsil-Niwari, District-Niwari (MP) [451947] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 29/04/2024. को परियोजना प्रस्तावक Smt. Mamta Yadav एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Mamta Yadav W/o- Shri Kamal Singh Yadav R/o-Village- Bakua Kurd, Tehsil-Tahrauli, District-Jhansi(U.P.)	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	66/1 (सरकारी भूमि)	1.40 हेक्टेयर
स्थल	Village - Baproli, Tehsil - Niwari, District - Niwari, State - Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक.11780.82/उत्खनिपट्टा/ग्रुप 2/316/ भोपाल. दिनांक 18/07/16 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया टीकमगढ के पत्र क्रमांक. खनिज/डिआ/2017/118 टीकमगढ दिनांक 9/05/2017 के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर– 30,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी म.प्र. के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 455/खनिज /2023 दिनांक 08/09/23 अनुसार 500 मी.की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है,	

	इस प्रकार कुल रकबा 20.273हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी (म.प्र.) के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक/455/खनिज /2023 दिनांक 08/09/23 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि मेंनेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी (म.प्र.) के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक/455/खनिज /2023 दिनांक 08/09/23 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रति रक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाल ।नहीं है ।
प्रस्तावित स्थन पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में एक भी पेड़ दिखाई दे रहे है ।
	पूर्व दिशा– नेचुरल ड्रेन 228 मी.की दूरी पर स्थित है ।
	दक्षिण–पूर्व दिशा– कच्ची सड़क 11 मी. की दूरी पर
	उतरी पूर्व दिशा– उ.प्र.–म.प्र. राज्य का सीमा 400 मी. की दूरी पर स्थित है ।
	पश्चिम दिशा–आबादी 756 मी. की दूरी पर स्थित है।
	दक्षिण–पश्चिम दिशा– चनायन माता मंदिर 276 मी की दूरी पर स्थित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे ंस्थिति	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–74 के सरल क्रमांक–29 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:

4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**

23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।

26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।

34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।

38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

20. <u>Case No 11177/2024 Shri Jitendra Singh, Lessee, R/o Village-Bakuwa Khurd, Saraul, District-Jhansi (UP)-284121, Prior Environment Clearance for Baproli Stone Mine in an area of 4.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 64/2/1), Village-Baprauli, Tehsil-Niwari, District-Niwari (MP) [451833] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 29/04/2024. को परियोजना प्रस्तावक Shri Jitendra Singh Yadav एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Jitendra Singh Yadav S/o- Shri Gulab Singh Yadav R/o-Village- Bakua Kurd, Post- Sarol Tehsil-Tahrauli, District-Jhansi (U.P.)

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	64/2/1, सरकारी भूमि)	4.00 हेक्टेयर
स्थल	Village - Baproli, Tehsil - Niwari, District - Niwari, State - Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक.117274/उत्खनिपट्टा/ग्रुप 2/न. क्र. 317/2014, भोपाल दिनांक 18/7/16 द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया टीकमगढ के पत्र क्रमांक. खनिज/डिआ/2017/116 टीकमगढ दिनांक 09/05/17 के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर– 50,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी म.प्र. के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक क्रमांक/454/खनिज/2023, निवाड़ी दिनांक–08.09.2023 अनुसार 500 मी. की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 20.273हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी (म.प्र.) के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक/क्रमांक/454/खनिज/2023, निवाड़ी दिनांक–08.09.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि मेंनेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी (म.प्र.) के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक/क्रमांक/454/खनिज/2023, निवाड़ी दिनांक–08.09.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रति रक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थन पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में एक भी पेड़ दिखाई दे रहे है ।	
गूगल ईमेज अनुसार वर्तमान स्थिति।	उतरी पूर्व दिशा– नेचुरल ड्रेन 358 मी.की दूरी पर स्थिल है ।	
	दक्षिण–पूर्व दिशा– कच्ची सड़क 100 मी. की दूरी पर	

	पूर्व दिशा– उ.प्र.–म.प्र. राज्य का सीमा 460 मी. की दूरी पर स्थिल है ।
	पश्चिम दिशा–आबादी 652 मी. की दूरी पर स्थिल है।
	दक्षिण दिशा– चनायन माता मंदिर 321मी की दूरी पर स्थिल है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे ंस्थिति	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–29 के सरल क्रमांक–72 पर दर्जहै ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.

f. Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.

18. Carbon footprint.

19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।

23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।

26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित

प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

21. <u>Case No 11185/2024 Shri Ram Singh, Lease Owner, R/o 46, Shivaji Nagar, Thatipur, R.K. Puri, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Parsen Stone Mine in an area of 3.345 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 4154), Village-Parsain, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) [453371] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 29/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ram Kumar Singh. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजनाप्रस्तावककानाम व पता	Shree Ram Kumar Singh S/o Shree Kalyan Singh, Add-46, Shivaji Nagar ThatipurDistrict-Gwalior (M.P.)	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	4154 (सरकारी भूमि)	3.345 hectare.
स्थल	Village- Parsen, Tehsil - Gwalior, Dist.- Gwalior, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म जिला भोपाल म.प्र. के आदेश पत्र क्रमांक: 18662-74/खनिज/उ.प./न.क्र.20/2017, दिनांक 16/10/17 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डियाई.सी. काविवरण (यदि लागू हो)	डियाग्वालियरके पत्र क्रमांक 316 /डिआ/न.क.–1 / 2018 जिला ग्वालियर दिनांक 05/10/2018 के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–50,000 घनमीटर/वर्षहै ।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर (म.प्र) के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक: क्यूएल-04/2017/1672 दिनांक 16/10/2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 36.209 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर म.प्र के एकल प्रमाण–पत्र	

अनापत्ति	क्रमांक:क्यू एल-04/2017/1672 दिनांक 16/10/2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.मे ंवन क्षेत्र स्थिल नही ंहै ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर म.प्र के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक:क्यू एल-04/2017/1672 दिनांक 16/10/2023 अनुसार 500 मी. की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉपडैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पारसेन जिला ग्वालियर म.प्र के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नही ंहै ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थल पर वृक्ष नही ंहै।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा– सुमेरपाड़ा गाँव 80 मी. पर
	दक्षिण पूर्व दिशा –प्राकृतिक जल निकास लगभग 348 मी. पर
	पश्चिम दिशा–पारसेन रोड 950 मी. दूरी पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमाकं–126 एवं पृष्ठ क्रमांक: 45 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि डीएसआर एवं माईनिंग प्लान के कोर्डीनेट मेच नहीं हो रहे हैं अतः परियोजना प्रस्तावक ने पुनरीक्षित डीजीपीएस कोर्डीनेट लिये हैं। समिति ने **परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra

5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**

23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।

26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।

34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।

38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. ई. आई. ए. प्रस्तुतीकरण के समय संशोधित डी.सी.आर. प्रस्तुत करें जिसमें दर्शये गये कोर्डिनेट का उल्लेख किया जाये ।
41. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

22. Case No 11182/2024 Shri Dwarka Mishra, Owner, R/o 1818/a, Gupteswar, District-Jabalpur (MP)-482001 Prior Environment Clearance for Dhadhra Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (24980 cum per year) (Khasra No. 90), Village-Dhadra, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [449218] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री द्वारका मिश्रा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एक्रो डिजाइन, गाजियाबाद उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री द्वारका मिश्रा, 1818/a, गुप्तेश्वर, जिला जबलपुर, म.प्र.

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(शासकीय–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.75 hectare.
स्थल	Khasra No 90, Village-Dhadhra, Tehsil & District- Jabalpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 6418 दिनांक 17–08–2012 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 126/डिया/2017 दिनांक 11–01–2018 के द्वारा पत्थर–24,980 घनमी./वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–24,980 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 24,980 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 865 दिनांक 19–09–2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, तथा आवेदित खदान को मिलाकर कुल रकबा 14.5 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 865 दिनांक 19.09.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 865 दिनांक 19.09.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में कोई मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर दिनांक 24–05–2012 के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– 882 मी.की दूरी पर मानव बसाहट हैं।	

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–25 के सरल क्रमांक–21 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.

19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

23. <u>Case No 11189/2024 Shri Dwarka Mishra, Owner, R/o 1818/a, Gupteswar, Tehsil & District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Dhadhra Stone Quarry in an area of 3.55 ha. (58462 cum per year) (Khasra No. 86), Village-Dhadra, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [449222] [DEIAA] (TOR)</u>

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री द्वारका मिश्रा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एक्रो डिजाइन, गाजियाबाद उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री द्वारका मिश्रा, 1818/a, गुप्तेश्वर, जिला जबलपुर, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(शासकीय–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.55 hectare.
स्थल	Khasra No 86, Village-Dhadhra, Tehsil & District- Jabalpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 6239 दिनांक 20–07–2012 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 125/डिया/2017 दिनांक 11–01–2018 के द्वारा पत्थर–58,462 घनमी./वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–58,462 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 58,462 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 864 दिनांक 19–09–2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, तथा आवेदित खदान को मिलाकर कुल रकबा 14.5 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 864 दिनांक 19.09.2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 864 दिनांक 19.09.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में कोई मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय	

	निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर दिनांक 17–05–2012 के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–25 के क्रमांक–20 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित

प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

24. <u>Case No 11193/2024 Shri Rais Khan, R/o 125, Chotti Sagore, District-Dhar (MP)-454775, Prior Environment Clearance for Rawad Stone Quarry in an area of 1.78 ha. (Stone-12610, OB-2522 cum per year) (Khasra No. 05), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) [449797] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रईस खानएवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रईस खान पुत्र बहाव खान 125 छोटी सागौर, जिला धार (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	5(शासकीय भूमि–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.78hectare.
स्थल	Village-Rawad,Tehsil-Depalpur, District-Indore (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर इंदौरके पत्र क्रमांक.1842 दिनांक 23/09/2022के द्वारा हस्तानांतरण स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावितहै।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 274दिनांक 23.11.2016के द्वारा पत्थर–15132घनमी./वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	–	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–15132घनमीटर/वर्ष(12610 घन मी.प्रति वर्ष पत्थर (गिट्टी) और 2522 घन मी.प्रति वर्ष ओवरबर्डन)हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 15132 घनमीटर/वर्ष(12610 घन मी.प्रति वर्ष पत्थर (गिट्टी) और 2522 घन मी.प्रति वर्ष ओवरबर्डन)है।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौरके एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1924दिनांक 14/09/2023 अनुसार 500 मी. की परिधि में05अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.992हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल	

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

अनापत्ति	प्रमाण–पत्र क्रमांक 1924 दिनांक 14/09/2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1924 दिनांक 14/09/2023 अनुसार 500 मी. की परिधि में नदी / नहर / तालाब स्थिल नहीं है"।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत रावद के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 495दिनांक 24.07.2023अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थिल है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण –nil • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण –nil • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या–nil
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पट्टा क्षेत्र से 5 मी.पश्चिम में पक्की सड़क मौजूद है। सड़क किनारे 95 मी.सेट बैक प्रस्तावित है। एमएल क्षेत्र में कोई ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–51 के सरल क्रमांक–120पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	NA

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I

2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।

23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।

26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।

34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।

38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
42. खदान क्षेत्र में जल भराव है अतः dewaterung plan ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

25. <u>Case No 11178/2024 Shri Sandeep Sood, Partner, M/s S.M. Stones, R/o 37, Rohit Nagar, Phase-1, Huzur, District-Bhopal (MP)-462039 Prior Environment Clearance for Bamladad Stone Mine in an area of 4.00 ha. (74480 cum per year) (Khasra No. 125/87, 126/87), Village-Bamala Dad, Tehsil-Ichhawar, District-Sehore (MP) [450804] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमे आज दिनांक 29/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Akash Singh Adivashi एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

परियोजना विवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s. S.M Stones, Partner. Shree Sandeep Sood , Add- Windser Delight, Chuna Bhatti H. No. 17462, Kolar Road, Bhopal- 462039	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	125/87 126/87,(सरकारी भूमि गैर–वन क्षेत्र)	4.00 hectare.
स्थल	Village-Bamladad Tehsil-Ichhawar, Distt. -Sehore, M.P	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- सीहोरम.प्र.के आदेशपत्र क्रमांक 150/खनिज/उ.प./2022 दिनांक 09/01/2023 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
डियाई.सी. काविवरण (यदि लागू हो)	डिया सीहोर के पत्र क्रमांक/ 1792/ डिया/2017/ सीहोर दिनांक 09/11/2017 के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–74,480 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–74,480 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- सीहोर म.प्र. के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक- 2071/खनिज/उ.प./2023 दिनांक 05/07/2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी काहै।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- सीहोर म.प्र के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक- 2071/खनिज/उ.प./2023 दिनांक 05/07/2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नही ंहै एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थिल नही ंहै ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- सीहोरम.प्र के एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक- 2071/खनिज/उ.प./2023 दिनांक 05/07/2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानवब साहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉपडैम/ नहर/ ग्रामीणकच्चा/ पक्कारास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत	ग्राम पंचायत बलोन्डिया जिला सीहोर म.प्र के ठहराव प्रस्ताव	

की अनापत्ति	क्रमांक–46/खनिज दिनांक 27/10/2010 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नही है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थल पर कोई भी वृक्ष नही है।
	पूर्वदिशा–आबादी 860 मी. दूरी पर स्थिल है। वाटरबॉडी 500 मी. दूरी पर पक्की सड़क 928 मी. दूरी पर स्थिल है।
	पश्चिम दिशा–प्राकृतिक नाला 55 मी. की दूरी पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमाकं–16 एवं पृष्ट क्रमांक- 62 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.

- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित

प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

26. <u>Case No P2/717/2024,Shri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority [TDS-03/2022] (MP). Prior Environment Clearance for Townships/ Area Development Projects Rehabilitation Centers, Nimanwasa, Dhatrawada, Nagjhiri & Lalpur, Ujjain (MP). Total area - 1249310.00 Sq.m (124.931 Ha.), out of which 1148830.00 Sq.m (114.883 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land. Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects. TOR</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Area Development Projects Rehabilitation Centers, Nimanwasa, Dhatrawada, Nagjhiri & Lalpur, Ujjain (MP). Total area - 1249310.00 Sq.m (124.931 Ha.), Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

PP submitted following information on Parivesh Portal :

S. N.	Information Required	Details
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/468333/2024
2.	**Project Name**	Town Development Scheme [TDS-03/2022] located at villages: - Nimanwasa, Dhatrawada, Nagjhiri & Lalpur, Ujjain (MP). The total area of scheme is 1249310.00 Sq.m (124.931 Ha.), out of which 1148830.00 Sq.m (114.883 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land. Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects
3.	**Legal Status of the Company/Organization/User Agency.**	State Govt.
4.	Name of the Company/ Organization/User agency.	Ujjain Development Authority
5.	**Declaration**	No Construction Activity Start at site. Undertaking cum Affidavit dated 08/04/2024 has been submitted with online form.
6.	**Description of Project.**	Ujjain Development Authority, Ujjain proposes an area development project "Town Development Scheme [TDS-03/2022]" located at villages: - Nimanwasa, Dhatrawada, Nagjhiri & Lalpur, Ujjain (MP). The total area of scheme is

<table>
<tr><td></td><td></td><td>1249310.00 sqm (124.931 Ha.), out of which 1148830.00 sqm (114.883 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land within the scheme and seeking for Environmental Clearnace.
For the same, Government of M.P. has nominated Ujjain Development Authority, Ujjain as project proponent to prepare and implement of Town Development Scheme-03/2022. This has been notified by Gazette by the Govt. of M.P. dated 13/10/2023. “Madhya Pradesh Rajpatra, Pradhikar Se Prakashit, Kramank 48] Bhopal, Shukravar, Dinank 2 December 2022 Agrahayanya 11 Shak 1944” comprises list of land owners along with Khasra No. and Area.
The proposed development is only an Area development project under which only infrastructure works like road networks (30m, 24m, 18m, 12m, 9m road and 3m pathway) water, sewerage & STP etc. will be undertaken.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Total Cost of the Project</td><td>18500 Lakhs.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Proposed ToR.</td><td>Submitted.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Rehabilitation and Resettlement (R&R) involved?</td><td>No</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Lat./Log.</td><td>As per Form-1</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Area (In square meter)</td><td><table>
<tr><td>Reconstituted Land</td><td>1148830</td></tr>
<tr><td>Total Reconstituted Land Form 18(Ka)</td><td>574415</td></tr>
<tr><td>Open Area Form 18 (Kha)</td><td>64849.31</td></tr>
<tr><td>Social Infrastructure Form 18 (Kha)</td><td>61078.88</td></tr>
<tr><td>Road Area (According to Orientation)</td><td>218398.53</td></tr>
<tr><td>Land Reserved for Authority Form 18 (kha)</td><td>230088.28</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Water requirement</td><td>Total Water Requirement: - 4.65 MLD
Wastewater Generated: - 3.72 MLD
STP capacity: - 4.47 MLD
Landscaping: - 1.30 MLD
Source of water - Municipal Water Supply</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Land ownership documents: Sale deed/Latest Lease deed / Latest Khasra Panchsala and</td><td>The land has been notified by “Madhya Pradesh Rajpatra, Pradhikar Se Prakashit, Kramank 48] Bhopal, Shukravar, Dinank 2 December 2022 Agrahayanya 11 Shak 1944” comprises list of</td></tr>
</table>

	Khasra map.	land owners along with Khasra No. and Area.
14.	NOC of concerning Gram panchayat/Gram Sabha/Local bodies/ Nagar Nigam.	Application to obtain NOC's is submitted to Nagar Nigam.
15.	Water NOC	Application to obtain NOC is submitted to Nagar Nigam.
16.	Solid Waste Generation	17235.654 Kg/day
17.	E-Waste (0.15 kg/C/Yr)	.472 Kg/Yr
18.	Extra Treated Water NOC	Application to obtain NOC is submitted to Nagar Nigam.
19.	Biomedical waste generation(if Applicable)	Not Applicable
20.	Plantation details	Plants. Proposed: - Approx. 7200 plants
21.	Diesel power generating capacity (power backup)	NA
22.	T&CP Approval letter/Layout plan copy.	The scheme has been approved by T&CP vide letter no. क्रमांक1365/नग्रानि/उविप्रा-TDS-3/2023 उज्जैन dated 06/10/2023 by कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन (म.प्र.). Copy of the layout plan has been submitted along with online form.
23.	Pre-Feasibility report (PFR)	NA
24.	Rainwater harvesting details	12 RWH pit with 360 cubic meter @peak rainfall will be provided.
25.	CTE/ CTO copy(if applicable).	CTE/CTO will be obtain after the grant of Environment Clearance.
26.	EMP/ Env. Con. details	Company Name: - Oceao-Enviro Management Solutions India PVT Ltd. Accreditation Valid up to05/08/2025
27.	Any other important issue	No
28.	Remediation cost (If any)	NA

After presentation, Committee recommended to issue standard TOR as prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.
2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.

3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
4. As proposed increase the green cover area upto 12.0 ha. area and see that after planting period of 05 years green canopy cover shakll not be less then 25 percent. Hence, proposed green cover with unifomalily space in the EIA report with category-wise plantation in the road side, peripheral plantation as suggested during meeting by the committee.
5. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
6. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
7. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
8. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
9. Surface of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
10. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
11. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
12. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
13. Proposed plan with all activity with capacity of STP road etc.
14. All mandatory NOCs including T&CPO approvals etc. shall be submitted with EIA report.
15. **Carbon** emission **foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report with details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.**

16. **PP's** commitment **that the BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.**
17. Building code status NBC/ECBC.
18. Plantation scheme.
19. Plot area details as commercil and residential etc.
20. No. of STP details, location as per the project requirement.
21. Salient features of the DPR .
22. Proposal for plantation for green corridor development along the River front Development of Kshipra River under CER as suggested by the committee.
23. Discuss electic supply underground or above the ground .
24. उज्जैन शहर के अन्तर्गत शासकीय भूमि पर वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण का प्रस्ताव ।
25. समिति का सुझाव है कि वन विभाग के सहयोग से पंचकोशी परिक्रमा में वृक्षारोपण एवं साथ ही पुराने वृक्षारोपण का संरक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

27. Case No P2/718/2024,Shri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority [TDS-03/2022] (MP). Prior Environment Clearance for Townships/ Area Development Projects Rehabilitation Centers, Nimanwasa Nimanwasa, Dhatrawada, Nagjhiri & Lalpur, Ujjain (MP). Total area - 1194430 Sq.m (119.443 Ha.), out of which 1152810 Sq.m (115.281 Ha.) Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land. Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects. TOR

This is case of Prior Ennment Clearance for Area Development Projects Rehabilitation Centers, Nimanwasa Nimanwasa, Dhatrawada, Nagjhiri & Lalpur, Ujjain (MP). Total area - 1194430 Sq.m (119.443 Ha.), out of which 1152810 Sq.m (115.281 Ha.) Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land..) Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

PP submitted following information on Parivesh Portal :

S. N.	Information Required	Details
1.	**Project**	**SIA/MP/INFRA2/468389/2024**
2.	**Project Name**	Town Development Scheme [TDS-04/2022] located at villages: - Nimanwasa & Kothimahal Ujjain (MP).

		The total area of scheme is 1194430 Sq.m (119.443 Ha.), out of which 1152810 Sq.m (115.281 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land. Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects
3.	**Legal Status of the Company/Organization/User Agency.**	State Govt.
4.	Name of the Company/ Organization/User agency.	Ujjain Development Authority
5.	**Declaration**	No Construction Activity Start at site. Undertaking cum Affidavit dated 08/04/2024 has been submitted with online form.
6.	**Description of Project.**	Ujjain Development Authority, Ujjain proposes an area development project "Town Development Scheme [TDS-04/2022]" located at villages: - Nimanwasa&Kotinimahal, Ujjain (MP). The total area of scheme is 1194430 Sq.m. (119.443 Ha.), out of which 1152810 Sq.m. (115.281 Ha.) is the proposed reconstituted land within the scheme and seeking for environment clearance. For the same, Government of M.P. has nominated Ujjain Development Authority, Ujjain as project proponent to prepare and implement of Town Development Scheme-04/2022. This has been notified by "Madhya Pradesh Rajpatra, Pradhikar Se Prakhashit, Kramank 40] Bhopal, Shukravar, Dinank 6 October 2023-Ashwin 14, Shak 1945. "Madhya Pradesh Rajpatra, Pradhikar Se Prakashit, Kramank 37] Bhopal, Shukravar, Dinank 16 September 2022-Bhadra 25 Shak 1944" comprises list of land owners along with Khasra No. and Area. The proposed development is only an Area development project under which only infrastructure works like road networks (30m, 24m, 18m, 12m, 9m road and 3m pathway) water, sewerage & STP etc. will be undertaken.
7.	Total Cost of the Project	18000 Lakhs.
8.	**Proposed ToR.**	Submitted.
9.	Rehabilitation and Resettlement (R&R) involved?	No
10.	**Lat./Log.**	As per Form-1
11.	**Area (In square meter)**	

		Reconstituted Land: 1152810 Total Reconstituted Land Village Nimanwasa Form 18(Ka): 576405 Open Area Form 18 (Kha): 66372.74 Social Infrastructure Form 18 (Kha): 57639.1 Road Area (According to Orientation): 221830.43 Land Reserved for Authority Form: 230562.73
12.	Water requirement	Total Water Requirement: - 4.67 MLD Wastewater Generated: - 3.74 MLD STP capacity: - 4.48 MLD Landscaping: - 1.95 MLD Source of water - Municipal Water Supply
13.	Land ownership documents: Sale deed/Latest Lease deed / Latest Khasra Panchsala and Khasra map.	The land has been notified by "Madhya Pradesh Rajpatra, Pradhikar Se Prakashit, Kramank 37] Bhopal, Shukravar, Dinank 16 September 2022-Bhadra 25 Shak 1944" comprises list of land owners along with Khasra No. and Area.
14.	NOC of concerning Gram panchayat/Gram Sabha/Local bodies/ Nagar Nigam.	Application to obtain NOC's is submitted to Nagar Nigam.
15.	Water NOC	Application to obtain NOC's is submitted to Nagar Nigam.
16.	Solid Waste Generation	17295.43 Kg/day
17.	E-Waste (0.15 kg/C/Yr)	.473 Kg/Yr
18.	Extra Treated Water NOC	Application to obtain NOC's is submitted to Nagar Nigam.
19.	Biomedical waste generation(if Applicable)	Not Applicable
20.	Plantation details	Plants. Proposed: - Approx. 7400 Plants.
21.	Diesel power generating capacity (power backup)	NA
22.	T&CP Approval letter/Layout plan copy.	The scheme has been approved by T&CP vide letter no. क्रमांक NIL/नग्रानि/उविप्रा-TDS-4/2023 कैम्प-भोपाल dated 05/09/2023 by कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन (म.प्र.). Copy of the layout plan has been submitted along with online form.
23.	Pre-Feasibility report (PFR)	NA
24.	Rainwater harvesting details	12 RWH pit with 360 cubic meter @peak rainfall will be provided.

25.	CTE/CTO copy(if applicable).	CTE/CTO will be obtain after the grant of Environment Clearance.
26.	EMP/ Env. Con details	Company Name: - Oceao-Enviro Management Solutions India PVT Ltd. Accreditation Valid up to 05/08/2025
27.	Any other important issue	No
28.	Remediation cost (If any)	NA

After presentation, Committee recommended to issue standard TOR as prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.
2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
4. As proposed increase the green cover area upto 12.0 ha. area and see that after planting period of 05 years green canopy cover shakll not be less then 25 percent. Hence, proposed green cover with unifomalily space in the EIA report with category-wise plantation in the road side, peripheral plantation as suggested during meeting by the committee.
5. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
6. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
7. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
8. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
9. Surface of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.

10. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
11. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
12. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
13. Proposed plan with all activity with capacity of STP road etc.
14. All mandatory NOCs including T&CPO approvals etc. shall be submitted with EIA report.
15. **Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report with details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.**
16. **PP's commitment that the BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.**
17. Building code status NBC/ECBC.
18. Plantation scheme.
19. Plot area details as commercil and residential etc.
20. No. of STP details, location as per the project requirement.
21. Salient features of the DPR .
22. Proposal for plantation for green corridor development along the River front Development of Kshipra River under CER as suggested by the committee.
23. Discuss electic supply underground or above the ground .
24. उज्जैन शहर के अन्तर्गत शासकीय भूमि पर वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण का प्रस्ताव ।
25. समिति का सुझाव है कि वन विभाग के सहयोग से पंचकोशी परिक्रमा में वृक्षारोपण एवं साथ ही पुराने वृक्षारोपण का संरक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

28. Case No 10169/2023 Shri Pawan Kumar Agrawal, Director, M/s Pawsun Industries Pvt. Ltd.R/o Flat No. 105A, Bashed Ahmed Complex, Link Road, Bilaspur (CG)- 495001, Prior Environmental clearance for establishment of 2.48 MTPA Wet Type (Heavy Media) Coal washery plant, area 17.477 Ha.Khasrano.are784, 786, 787, 788, 795, 796, 797, 810, 811, 813/1, 814/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1023, 1025 Gondwali Village, Deosar Tehsil, Singrauli District, Madhya Pradesh Category- 2(a).EIA PPT.

This is case for Prior Environmental clearance for establishment of 2.48 MTPA Wet Type (Heavy Media) Coal washery plant, area 17.477 Ha.Khasrano.784, 786, 787, 788, 795, 796, 797, 810, 811, 813/1, 814/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1023, 1025 Gondwali Village, Deosar Tehsil, Singrauli District, Madhya Pradesh.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in SEAC 665th meeting dated 03.08.2023 wherein ToR was recommended.

The EIA was presented by the PP Shri Pawan Kumar Agrawal and their consultant Shri S.R.D. Nagarjuna, M/s Pioneer Enviro Laboratories and Consultants Pvt. Ltd., Hyderabad, wherein PP submitted that proposed project is located at Gondwali Village, Deosar Tehsil, Singrauli District, Madhya Pradesh and land is allocated to M/s. Pawsun Industries Pvt. Ltd. by Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL) for industrial purpose.

PP submitted that :-

- There are no Wild life sanctuaries, Bird sanctuaries, National Parks within 10 Km. radius of the plant. No significant vegetation occurs in and around the project site. No significant fauna exists in the area. Hence there will not be any adverse impact on flora & fauna due to the proposed project.
- Plantation programme should be undertaken at several areas. They should include plantation, along the internal and external roads and along the administrative buildings and the stacking yards.
- People should be educated and trained in social forestry activities by local governmental and non-governmental organizations.

- Total land taken on lease from MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL) for 99 years is vide letter no. MPIDC/47/Land/2023/4027 Bhopal dt. 10.05.2023.
- There are no houses exist in the project site. Present land belongs to MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL). Hence R & R is not applicable.
- It has been planned to adopted Heavy Media Cyclone technology with closed circuit water system to ensure zero effluent discharge.
- PP will apply for GW drawl permission for 495 KLD, obtain the permission before start of project.

BRIEF INFORMATION

S. No.	Particulars	Details
1.	Date of grant of ToR	18-09-2023
2.	Baseline study period	1st March 2023 to 1st May 2023
3.	Date of Public Hearing	28.12.2024
4.	Project Cost	Rs. 63.98 Crores
5.	EMP Cost (Capital & Recurring)	Capital cost: Rs. 246 Lakhs & Recurring cost: Rs. 23 Lakhs/Annum
6.	Manpower Details	Direct – 50 Nos., Indirect- 150 Nos.
7.	Details if project falls under the purview of A. FCA, 1980 B. WLPA, 1972 C. CRZ, 2011	Not Applicable Not Applicable Not Applicable
8.	CP/SPA/ESA/ESZ, if any	Nil Within 10 km. radius of the project site
9.	Interlinked project, if any with status	No

LAND ALLOTTED / ACQUISITION STATUS

Total land envisaged for the proposed project is 11.819 Ha. located at Gondwali Village, Deosar Tehsil, Singrauli District, Madhya Pradesh.

Land is taken on lease for 99 years from MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL) vide Lease Deed dt. 10.05.2023, total land taken from MPIDC is 17.477 ha, out of which 11.819 ha used for Coal Washery Plant.

Govt. land the Khasra nos. 11.819 Ha.

Khasra No. 784, 786, 787, 788, 795, 796, 797, 810, 811, 813/1, 814/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1023, 1025

S.No.	Type of land	Area (in Ha.)	Status of acquisition	Status Of Land Diversion
1	Private Land	Nil	---	---
2	Govt. Land	11.819	Land is taken on lease for 99 years from MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL) vide Lease Deed dt. 10.05.2023	Diversion not required as land is allotted by MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL)
3	Industrial Land	Nil	---	---
4	Forest Land	Nil	---	---
	Total land	**11.819**		

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following conditions and as per Annexure-D:

i) Detail tree inventory of the area wrt to girth, height, species & their respective number and management plan shall be submitted with the EIA report.
ii) The proposed coal washing technology shall be discussed in detail in the EIA report. The washing technology shall be so chosen to conform to 'Zero Liquid Discharge'.
iii) Clarification from forest department that allocated area does not fall under elephant movement area.
iv) Impact Assessment Study of the area shall be carried over by project proponent considering Ecological service system amd loss to be assessed regarding flora and fauna.
v) For proper baseline air quality assessment, Wind rose pattern in the area should be reviewed and accordingly location of AAMSQ shall be planned by the collection of air quality data by adequate monitoring stations in the downwind areas. Monitoring location for collecting baseline data should cover overall the 10 km buffer zone i.e. dispersed in 10 km buffer area.

vi) Project proponent to prepare Environmental Cost Benefit Analysis for the project in EIA/EMP Report.
vii) Permission for ground water withdrawal shall be obtained from Central Ground Water Authority (CGWA).
viii) Impact of proposed project/activity on hydrological regime of the area shall be assessed and report be submitted. Hydrological studies as per GEC 2015 guidelines to be prepared and submitted.
ix) Heavy metals including other parameters in surface water quality shall be analyzed and provided in EIA Report.
x) The parameters Arsenic, Lead and Silica shall also be analyzed in ambient air quality.
xi) Details of mode of transportation including laying conveyor belt for transportation of coal from nearest mine to the washery and a plan for reduction of number of trucks for transportation of coal.
xii) PP shall work on the layout and sitting of washery so that coal storage area, crushing units and rejects storage area shall not be near the villages or cause any pollution to agricultural land.

REVISED BUDGET ALLOCATION FOR EMP

Head	Capital cost	Recurring Cost
Air pollution control system	1,20,00,000/-	10,00,000/-
Water Sprinklers at all transfer points	20,00,000/-	2,00,000/-
Fogging system dust control	5,00,000/-	50,000/-
Sewage Treatment Plant	8,00,000/-	2,00,000/-
Effluent Treatment plant for recycling of water	80,00,000/-	8,00,000/-
Personnel protective equipment for workers	2,00,000/-	50,000/-
Contribution to Sanjay Gandhi National Park for wild life improvement.	10,00,000/-	-
Distribution of LED lights in nearby area	1,00,000/-	-
Total	2,46,00000/-	23,00,000/-

REVISED BUDGET FOR SOCIAL & INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENTAL ACTIVITIESAS or CER

S. No.	Major Activities	Year of Implementation	Total Expenditure

		1st yr (in Lakhs)	2nd yr (in Lakhs)	3rd yr (in Lakhs)	(in Lakhs)
A. Based on SIA study					
1	Primary Medical Assistance / camp facility through PHC, in Villiage Gondwali, Bargawn, Dadar	2.0	1.0	2.0	**5.0**
2	Awareness programme for Mahua & other "minor forest produce" for trading, processing.	3.0	-	-	**3.0**
3	Contribution for Development of Aganganwadi & Tribal Hostal in Villiage Gondwali, Bargawn, Dadar	2.5	2.5	2.5	**7.5**
4	Water Conservation -PWH pits 5 Nos. in Gondwali (v) and 2 Nos. of pond desiltation with 1.5 m depth -RWH pits in 5 nos. in Kanai(v) and 1 nos. of ponds desiltation with 1.3 m depth -RWH pits in 5 nos. in Bargawan (v) and 1 no. of pond Desiltation with 1.4	2.0	1.0	2.0	**5.0**

	m depth				
				Total	**20.50 Lakhs**

- PP further submitted that Rs. 3.0 lakhs shall be allocated to the DFO, Singrauli to for awareness programme for Mahua & other "minor forest produce" for trading, processing, and included in CER.
- PP further submitted that Rs. 10.0 lakhs shall given to Sanjay Gandhi National Park for improvement for habitation and reducing carbon foot print. We will also distribute LED light in nearby area of amounting 1.0 lakh.

After deliberation and discussion the committee found that the EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence **committee decided to recommend the case for Prior Environment Clearance for Environment Clearance for establishment of 2.48 MTPA Wet type (Heavy Media) Coal Washery Plant in an area of 11.819 ha. (784, 786, 787, 788, 795, 796, 797, 810, 811, 813/1, 814/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1023, 1025) Village-Gondwali, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP). Category- 2(a).subject to the following special conditions:**

(a) **Statutory Compliance:**

(i) The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.

(ii) The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

(iv) The project proponent shall obtain Consent to Establish/ Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.

(v) The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority.

(vi) Solid waste/hazardous waste generated in the washery needs to addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016 / Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016.

(vii) Coal beneficiation practices shall be carried out under strict adherence to provisions of the Factories Act, 1957 and subordinate legislations made there under.

(b) **Air quality monitoring and preservation**

(i) Adequate ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely particulates, SO2 and NOx. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive receptors in consultation with the State Pollution Control Board. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc. carried out at least once in six months.

(ii) Continuous ambient air quality monitoring stations as prescribed in the statue be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely PM10, PM2_5, SO2 and NOx. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the State Pollution Control Board. Online ambient air quality monitoring stations may also be installed in addition to the regular monitoring stations as per the requirement and/or in consultation with the SPCB. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc to be carried out at least once in six months.

(iii) Transportation of coal by road shall be carried out by covered trucks/conveyors. The transportation of clean coal and rejects shall be by rail with wagon loading through silo. Effective measures such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulates such as roads, belt conveyors, loading/unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled at source. It shall be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the Central/State Pollution Control Board.

(iv) All approach roads shall be black topped and internal roads shall be concreted. The roads shall be regularly cleaned. Coal transportation shall be carried out by covered trucks.

(v) Covered trucks shall be engaged for mineral transportation outside the washeryupto the railway siding, shall be optimally loaded to avoid spillage en-route. Trucks shall be adequately maintained and emissions shall be below notified limits.

(vi) Facilities for parking of trucks carrying raw material from linked mine shall be created within the unit.

(vii) Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles having 'PUC' certificate from authorized pollution testing centres shall be deployed for washery operations.

(viii) Hoppers of the coal crushing unit and other washery units shall be fitted with high efficiency bag filters/mist spray water sprinkling system shall be installed and operated effectively at all times of operation to check fugitive emissions from crushing operations, transfer points of closed belt conveyor systems and from transportation roads.

(ix) The raw coal, washed coal and coal wastes (rejects) shall be stacked properly at earmarked site (s) within stockyards fitted with wind breakers/shields. Adequate measures shall be taken to ensure that the stored mineral does not catch fire.

(x) The temporary reject sites should appropriate planned and designed to avoid air and water pollution from such sites.

(c) **Water quality monitoring and preservation**

(i) The effluent discharge (mine waste water, workshop effluent) shall be monitored in terms of the parameters notified under the Water Act, 1974 Coal Industry Standards vide GSR 742 (E) dated 25.9.2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board.

(ii) The monitoring data shall be uploaded on the company's website and displayed at the project site at a suitable location. The circular No. J-20012/1/2006-lA.II (M)

dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for compliance.

(iii) Industrial waste water shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under, and as amended from time to time.

(iv) The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/nallah flowing near or adjacent to the washery. The embankment constructed along the river/nallah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened bystone pitching on the river front side stabilised with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of inundation.

(v) Heavy metal content in raw coal and washed coal shall be analysed once in a year and records maintained thereof.

(vi) The rejects should preferably be utilized in FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization. If the coal washery rejects are to be disposed off, it should be done in a safe and sustainable manner with adequate compaction and post closure arrangement to avoid water pollution due to leachate from rejects and surface run of from reject dumping sites.

(vii) An Integrated Surface Water Management Plan for the washery area up to its buffer zone considering the presence of any river/rivulet/pond/lake etc. with impact of coal washing activities on it, shall be prepared, submitted to MoEFCC and implemented.

(viii) Waste Water shall be effectively treated and recycled completely either for washery operations or maintenance of green belt around the plant.

(ix) Rainwater harvesting in the washery premises shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources in consultation with Central Ground Water Board.

(x) No ground water shall be used for coal washing unless otherwise permitted in writing by competent authority (CGWA) or MoEFCC. The make-up water requirement of washery should not exceed 1.5 m3/tonne of raw coal.

(xi) Regular monitoring of ground water level and quality shall be can-ied out in and around the mine lease area by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operations. The monitoring of ground water levels shall be can-ied out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to MOEFCC/RO.

(xii) Monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies shall be can-ied out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.

(xiii) The project proponent shall take all precautionary measures to ensure riverine/ riparian ecosystem in and around the coal mine up to a distance of 5 km. A riverine/riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared and implemented in consultation with the irrigation / water resource department in the state government

(d) **Noise and Vibration monitoring and prevention**

(i) The noise level survey shall be carried out as per the prescribed guidelines to assess noise exposure of the workmen at vulnerable points in the mine premises, and report in this regard shall be submitted to the Ministry/RO on six-monthly basis.

(ii) Adequate measures shall be taken for control of noise levels as per noise pollution Rules, 2016 in the work environment. Workers engaged in blasting and drilling operations, operation of HEMM, etc shall be provided with personal protective equipments (PPE) like ear plugs/muffs in conformity with the prescribed norms and guidelines in this regard. Adequate awareness programme for users to be conducted. Progress in usage of such accessories to be monitored.

(e) **Coal beneficiation**

i) Coal stacking plan shall be prepared separately for raw coal, clean coal, middling and rejects.

(ii) Efforts should be made to reduce energy consumption by conservation, efficiency improvements and use of renewable energy.

(f) **Green Belt**

(i) PP submitted that total 10000 trees are proposed for plantationwithin plant premises and outside boundary.

Greenbelt development plan is as given below:

Revised Greenbelt development plan is as following

Year	**Number of plants to be planted**
1st Year	**4000 Nos.**
2nd Year	**3000 Nos.**
3rd Year	**3000 Nos.**

Revised Species to be planted

Scientific Name	**Common Name**	**Main Purpose**	**Number plants to be planted**			**Total Number of plants**
Trees -Top layer			**1st Year**	**2nd Year**	**3rd Year**	
Aegle marmelos	Bel / Bael	Fruit	110	95	60	395
Anthocephalus indica	Kadamb	Timber	105	85	55	245
Artocarpus integrifolia	Jack fruit	Fruit	100	85	55	240
Azadirachta indica	Neem	Multipurpose	115	100	55	270
Dalbergia sissoo	Sheshum	Timber	105	95	55	255
Dendrocalamus strictus	Bamboo	Construction material	105	85	55	500
Ficus benghalensis	Banyan	Shelter for birds	50	50	40	140
Ficus religiosa	Peepal	Sacred tree	50	50	40	140
Gmelina arborea	Gamhar	Timber	55	50	40	145
Madhuca	Mahuva	Multipurpos	1800	1000	455	3255

longifolia		e				
Mangifera indica	Mango	Fruit tree	95	75	45	215
Mimusops elengi	Ponna / Khirani	Multipurpose	80	75	45	200
Pongammia pinnata	Karanj	Biodiesel	85	75	50	315
Samanea saman	Rain Tree	Multipurpose	85	75	45	205

Scientific Name	**Common Name**	**Main Purpose**	**Number plants to be planted**			**Total Number of plants**
Trees -Top layer			**1st Year**	**2nd Year**	**3rd Year**	
Shorea robusta	Sal	Timber	80	75	45	200
Swietenia macrophylla	Mahogany	Timber	80	65	45	190
Syzygium cumini	Jamun	Fruit	85	65	50	200
Tarindus indica	Tamarind / Imli	Tamarind	80	65	55	200
Terminalia bellirica	Bahada	Timber	75	65	40	180
Terminalia arjuna	Arjun	Timber & Biodrain	70	60	35	165
Terminalia catappa	Almond	Nuts	70	65	40	175
Terminalia chebula	Myrobalam	Timber & Medicinal	85	65	40	190
Shrubs -Middle Layer						
Bougainvillea spectabilis	Bougainvillea	Ornamental	75	60	40	175
Carissa spinarum	Karand	Fruit	80	60	35	175
Cassia auriculata	Tanning Cassia	Green manure	80	65	35	180
Ficus benjamina	Weeping fig	Ornamental	65	55	40	160

Jatropha gossypifolia	Bellyache bush	Medicinal	70	60	40	170
Holarrhena antidysenterica	Kurei	Medicinal	70	60	35	165
Murraya koenigi	Curry leaf	Curry leaf	70	60	35	165
Phoenix acaulis	Dwarf date	Soil binder	70	60	35	165
Woofordia fruticosa	Dhatki	Locally common	70	60	40	170
		Total				**10000 Nos.**

(ii) There shall be no vegetative cutting activity take place in the parking area. Three tier greenbelt comprising of a mix of native species, of minimum 30 m width shall be developed all along the washery area to check fugitive dust emissions and to render aesthetic to neighbouring stakeholders. A 3-tier green belt comprising of a mix of native species or tree species with thick leaves shall be developed along vacant areas, storage yards, loading/transfer points and also along internal roads/main approach roads.

(iii) **The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.**

(g) **Human health issues**

(i) Adequate illumination shall be ensured in all mine locations (as per DGMS standards) and monitored weekly. The report on the same shall be submitted to this ministry &its RO on six-monthly basis.

(ii) The project proponent shall undertake occupational health survey for initial and periodical medical examination of the personnel engaged in the project and maintain records accordingly as per the provisions of the Mines Rules, 1955 and DGMS circulars. Besides regular periodic health check-up, 20% of the personnel identified from workforce engaged in active mining operations shall be subjected

to health check-up for occupational diseases and hearing impairment, if any. as amended time to time.

(iii) Personnel (including outsoured employees) working in core zone shall wear protective respiratory devices and shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

(iv) Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks/measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the nom1s laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Governn1ent, as applicable.

(v) The project proponent shall follow the mitigation measures provided in this Ministry's OM No.Z-11013/57/2014-IA.II (M) dated 29th October, 2014, titled 'Impact of mining activities on habitations-issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas or habitations and villages are surrounded by the mine lease area'.

(h) **EMP&Corporate Environment Responsibility**

(i) PP has proposed Capital cost Rs.2.46 Crore and Rs. 23.00 Lakhs As recurring cost under EMP.

(ii) Under CER, PP has a proposed Rs. 20.50 lakhs with following activities with budget in the given below table :

S. No.	Major Activities	Year of Implementation			Total Expenditure
		1st yr (in Lakhs)	2nd yr (in Lakhs)	3rd yr (in Lakhs)	(in Lakhs)
A. Based on SIA study					
1	Primary Medical Assistance / camp facility through PHC, in Villiage Gondwali, Bargawn, Dadar	2.0	1.0	2.0	**5.0**
2	Awareness	3.0	-	-	**3.0**

	programme for Mahua & other "minor forest produce" for trading, processing.				
3	Contribution for Development of Aganganwadi & Tribal Hostal in Villiage Gondwali, Bargawn, Dadar	2.5	2.5	2.5	**7.5**
4	Water Conservation -PWH pits 5 Nos. in Gondwali (v) and 2 Nos. of pond desiltation with 1.5 m depth -RWH pits in 5 nos. in Kanai(v) and 1 nos. of ponds desiltation with 1.3 m depth -RWH pits in 5 nos. in Bargawan (v) and 1 no. of pond Desiltation with 1.4 m depth	2.0	1.0	2.0	**5.0**
				Total	**20.50 Lakhs**

(ii) Fund allocation for Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per Ministry's O.M. No. 22-65/2017-IA.III dated 30th September 2020 and based on commitment made during public consultation process for incorporating in EIA-EMP for deliberation of SEAC

(iii) The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environn1ental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

(iii) A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

(iv) Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

(v) Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

(i) **Miscellaneous**

(i) The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

(ii) The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in

addition to the relevant offices of the Government who in tum has to display the same for 30 days from the date of receipt.

(iii) The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

(iv) The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM1o, S02, NOx (ambient levels) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

(v) The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

(vi) The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.

(vii) The project authorities shall inform to the Regional Office of the MOEFCC regarding commencement of mining operations.

(viii) The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

(ix) The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

(x) No change in coal beneficiation process and scope of work shall be made without obtaining prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) with such conditions mentioned therein. No change in the maximum quantum of raw material feed per annum against the approved washery capacity shall be made.

(xi) Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

(xii) The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

(xiii) The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

(xiv) The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data/ information/monitoring reports.

(xv) The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

29. <u>Case No 9700/2023 Shri Ashish Virendra Bansal, Director, M/s Impex Commercial Private Limited, R/o G-1, Indrasukh Apartment, 15A, Shree Nagar Annex District-Indore (MP)-452008. Prior Environment Clearance for Mini Steel Plant for Expansion in production capacity from 24000 MTPA to 120000 MTPA of Iron TMT Bards, Round Angle, Channels at Plot No. 259/5 Lebad, Tehsil & District-Dhar (MP) . Category-3(a) Metallurgical Industries (Ferrous and non -Ferrous).</u>

This is case of Environment Clearance Mini Steel Plant for Expansion in production capacity from 24,000 MTPA to 1,20,000 MTPA of Iron TMT Bards, Round Angle, Channels at Plot No. 259/5 Lebad, Tehsil & District-Dhar (MP) . Category-3(a) .

In the 631st SEAC Meeting dated 18/03/2023 was ToR Recommended .

PP submitted following details on Parivesh Portal.

744वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 अप्रैल 2024

Form –II Details			
SN	**Projects Details**		**Remarks**
1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND1/467558/2023.	
2.	Proposal /Activity Name	Shri ASHISH VIRENDRA BANSAL, Director M/s IMPEX COMMERCIAL PRIVATE LIMITED, Indore, (M.P.) 452008. Prior Environment Clearance for "mini steel plant" of Impex Commercial Pvt. Ltd. located at Plot No. 259/5 Lebad, Tehsil & District Dhar – 454773 Dist. Dhar (M.P.) for Expansion in production capacity from 24000 Metric Ton per Annum to 120000 Metric TonPer Annum of Iron TMT Bars, Round Angle, Channels. **Cat. 3(a) Metallurgical Industries.**	
3.	Location of Project		
4.	Item No. as per schedule to EIA Notification, 2006 Categary	3(a) Metallurgical Industries (ferrous and non ferrous) Secondary metallurgical processing industry (Non Toxic) - Process involving hot rolling mill without pickling.	
5.	EC Status (Fresh or Exp.)	Expansion.	
6.	ToR Status	ToR Recommended in 631 SEAC Meeting dated 18/03/2023. ToR letter issued by MPSEIAA letter no. 174 dated 21/04/2023.	
7.	Project Cost	2200 Lakhs.	
8.	Plot Area	at Plot No. 259/5 Lebad, Tehsil & District Dhar, (M.P.) -454773.	
9.	Area in ha.	0.334 ha.	
10.	Production Qty. in M^3/Y	Expansion in production capacity from 24000 Metric Ton per Annum to 120000 Metric TonPer Annum of Iron TMT Bars, Round Angle, Channels.	
11.	Undertaking details	Undertaking submitted by PP dated 01/02/2023. We will start the construction work for expansion only after obtaining EC.	
Documentary Details			
12.	Existing EC details	NA	
13.	DFO NOC	Ok Online issued No. DHAR2022 092 8 0 I 97905 dated 28/09/2022.	
14.	Gram Sabha / Gram Panchayat NOC -	Dated 18/02/2014. .	
15.	Env. Con.	Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.) Valid up to 22-03-23.	
16.	Consent Capacity	24000 MTPA, Validity of consent is 31/10/2027.	
17.	PFR	Submitted	
18.	EMP	Plants	
19.	Risc Assesment	Submitted	
20.	Any tree cutting proposed is observed	No Tree Cutting. Trees Uprooted Proposed -	
21.	Remarks if any	the project will consists of 3x10T induction furnaces, CCM and rooling mill. for making TMT bars and others hot Rolling will be used.	
22.	Google image status	Coordinates Pg –	

The EIA was presented by Env. Consultant Shri Mukesh Kaore, M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.) and PP Shri Ashish Virendra Bansal, Director (on line).

After presentation committeeasked PP to submit following details for further consideration of the project:-

- Details about of gaseous pollutants emitted through furnaces.
- Carbon foot print and their management plan with budget in the EMP print.
- Management of heat enhanced due to furnace and other process.
- Revised plnatation scheme.
- Revised CER include proposal of vulture habitat development. as suggested by the committee.

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.

5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.

n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
p. Minable Potential of sand mine.
q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.

19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे